

# फर्द अहकाम

उप-खण्ड अधिकारी  
जयपुर (दिलीप)

न्यायालय

श्रीगण लाल बनाम रामचन्द्र

मुकदमा संख्या/वर्ष 63/2016 : \_\_\_\_\_ / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारी साहब का अन्वेषण 15/7/24 पर पूर्वानुसार पत्रावली पेश हुई।</p>
	15/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ला०, 8 व. 3 अप्रार्थी को अप्रार्थी सं. 7, 10 ला० 18 की तक्रार-रडि० एक तक्रारवाज आज ही पेश करे। आज ही नोटिस जारी हो। प्रार्थी की आगामी प्रेसीट रडि० रकीडे व ड्रेक रिपोर्ट आवक रूप से पेश करे। अन्य प्रार्थी का प्रारंभ 09R5 CPL में (ग्राहक किताब में) पत्रावली 15/6/24 को पेश हो।</p>
	6/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अत्रलत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगावाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से बार-बार आवाज लगावे के बाद भी कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अटक हाजरी अटक पेशी के खालि किया जाता है। प्र. पत्रावली प्रेसिड शुमा० एके० 5 र्फ नम्बर के अन्वेषण का रडि० रकीडे न्यायालय दफ्तर है।</p>

उप-खण्ड अधिकारी  
जयपुर (दिलीप)

उप-खण्ड अधिकारी  
जयपुर (दिलीप)

